

## निदेशक की कलम से



हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त करने के उपरांत से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज पहाड़ी राज्यों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। सेब राज्य के नाम से प्रचलित हिमाचल जहां तीव्र गति से फल राज्य की ओर बढ़ा वहीं अनाज उत्पादन (हरित क्रांति) दुग्ध उत्पादन (सफेद क्रांति) तथा अब मत्स्य पालन (नीली क्रांति) की दिशा में नये आयाम स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

प्रदेश के मत्स्य संसाधनों में 3000 किलोमीटर की स्वच्छ जलयुक्त नदियां, 42000 हैक्टेयर क्षेत्रफल के जलाशय (मानव निर्मित झीलें) 1000 है० क्षेत्रफल के तालाब तथा 725 हैक्टेयर की उंचाई वाले क्षेत्रों में झीले विद्यमान हैं। प्रदेश में मत्स्यपालन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगलाभान्वित हो रहे हैं। हमारी मनोरम घाटियों में से बहती हुई व्यास, सतलुज व रावी जैसी नदियों के उपरी भागों में जहां आयातित ब्राउन ट्राउट व रेनबो ट्राउट, स्वदेशी गुगली (साइजोथोरैक्स) के साथ अठखेलियां करती हैं वहीं इनके निचले क्षेत्रों में बने गोबिंदसागर व पौंग जलाशय वाणिज्यिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कार्प व अन्य प्रजाति की मछलियों के उत्पादन में पूरे देश में शिखर पर विराजमान हैं। हमारे जलाशय प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये मूल्य की मछली का उत्पादन कर रहे हैं।

कुछ वर्ष पूर्व तक राज्य में ट्राउट मछली का वाणिज्यिक उत्पादन जो एक सपना मात्र था, आज प्रदेश सरकार की विकास नीति के फलस्वरूप साकार रूप में प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में कठिन परिवेश में रहने वाले जनसमुदाय के लिए स्व:रोजगार के नये अवसर लेकर सामने आया है। हम प्रदेश के जनसमुदाय को जहां एक ओर पूर्ण नियोजित आहार उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं वहीं इनकी समृद्धि में भी अपना भरपूर योगदान देने में प्रयासरत है। ट्राउट उत्पादन में हमारा लक्ष्य 200 टन वार्षिक उत्पादन का है जिसका 20 प्रतिशत विभागीय (सरकारी क्षेत्र) तथा 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र में किये जाने की योजना है।

जलाशयों से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संग्रहण का जहां व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है वहीं इन जलों में मछली के स्वतः प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हर साल मछली प्रजनन काल को दो माह की अवधि के लिए मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तालाब निर्माण पर जहां व्यय अधिक होता है वहीं जल रिसाव की भी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पुराने तालाबों के पुर्नउद्धार व नये तालाबों के निर्माणकी सामुदायिक तालाब निर्माण योजना का विभाग शत प्रतिशत लागत से कार्यन्वयन कर रहा है। तालाब निर्माण उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इन्हें मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को पट्टे पर दिया जा रहा है। इससे इन संसाधनों से जहां स्व:रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं वहीं पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त आय तथा जनसमुदाय को आसानी से प्रोटीनयुक्त आहार उपलब्ध हो रहा है।

हिमालयन जलों के 'शेर' नाम से विख्यात महाशीर मछली की प्रदेश की नदियों में उपलब्धता बनाए रखने की दृष्टि से हम महाशीर मत्स्य फार्म की स्थापना करने जा रहे हैं जहां इस मछली का बीज उत्पादित किया जाएगा। सरकार के इस कदम से जहां इस विश्वविख्यात मछली की प्रदेश के जलों से विलुप्तता का भय समाप्त होगा वहीं क्रीडा मत्स्यकी को भी प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार की 'आम आदमी की सरकार' सोच की दिशा में पारदर्शी व कर्तव्यपरायण कार्यप्रणाली को अंगीकृत करते हुए विभाग ने ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत निदेशालय व समस्त मण्डलीय कार्यालयों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हुए एम-गवर्नेंस योजना को भी आरंभ कर दिया है। मत्स्य पालन की विविध गतिविधियों की जानकारी जहां प्रदेशवासियों को विभागीय वेब साईट पर उपलब्ध कराई गई है, वहीं उनकी समस्याओं व शिकायतों का निपटारा ई-समाधान प्रणाली के अन्तर्गत तत्परता से किया जा रहा है।